प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 03 जून,2026

विषयः- जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रिषीपाल पुत्र श्री रघुवर, निवासी जनपद-मेरठ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-36096/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 01-09-2025, दिनांक 15.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी रिषीपाल पुत्र श्री रघुवर, जो ग्राम-कपसाड़, थाना-सरधना, जनपद-मेरठ का निवासी है। पारिवारिक विवाद एवं मुकदमेबाजी को लेकर दिनांक 25.08.1982 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बंदूक, तमंचा व फरसा से मारकर चचेरे भाई राजपाल की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-420/1982 में भा0द0वि0 की धारा- 302/34, 307/34, 201 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-03, मेरठ के दण्डादेश दिनांक 30.04.1987 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 20.07.2021 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.10.2023 तक अपरिहार 02 वर्ष, 02 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 02 वर्ष, 04 माह, 27 दिन की सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये जाने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रिषीपाल (बन्दी संख्या-2801/2023) पुत्र श्री रघुवर, निवासी जनपद-मेरठ की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-654/2026/2039(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।